

निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेडा, देहरादून

आदेश संख्या: सेवायें-3/

121

/2018-19 दिनांक 30 मई 2018

विज्ञप्ति/पदोन्नति

निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड के आदेश संख्या: सेवायें-3/108/2018-19 दिनांक 25 मई 2018 द्वारा प्रधान सहायक (वेतनमान 35400-112400, लेवल-6) पद पर कार्यरत कार्मिकों को प्रशासनिक अधिकारी (वेतनमान 44900-142400, लेवल-7) पद पर पदोन्नति प्रदान की गयी है। पदोन्नति आदेश के क्रमांक 7, 18, 21, 26 एवं 71 पर पदोन्नत कार्मिकों को तत्समय जनपद चमोली के अन्तर्गत थराली विधान सभा के निर्वाचन के दृष्टिगत पदस्थान नहीं दिया गया था। इन कार्मिकों की पदस्थापना की पदस्थापना उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित कार्यालय/विद्यालय में निम्नवत् की जाती है। आदेश की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

क्र. सं.	मूल आदेश का क्रमांक	प्रधान सहायक का नाम	वर्तमान कार्यरत संस्था	नवीन तैनाती स्थल	विवरण
1	2	3	4	5	6
1	7	श्रीमती बबीता रानी	रा.इ.का. बंजारावाला, दे.दून	रा.इ.का. मुन्दोली, चमोली	नवसू./ नवीनउच्ची. रिक्त पद के प्रति
2	18	श्रीमती मंजूषा वर्मा	का.जि.शि.अ.मा. देहरादून	का.उ.शि.अ. थराली, चमो.	-तदैव-
3	21	श्रीमती सत्या चमोली	रा.इ.का. बड़ासी, दे.दून	रा.इ.का. चौनघाट, चमो.	-तदैव-
4	26	श्रीमती हेमलता	का.जि.शि.अ.प्रा. देहरादून	का.उ.शि.अ. घाट, चमो.	-तदैव-
5	71	श्रीमती अनुपमा जोशी	रा.इ.का. मालदेवता, दे.दून	रा.क.इ.का. घाट, चमो.	-तदैव-

(वी०एस० रावत)

अपर निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

पृष्ठांकन संख्या: सेवायें-3/

4229-47

/2018-19 तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, ओबरोय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
3. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. वित्त नियंत्रक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
6. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी सम्बन्धित जनपद।
7. अपर निदेशक (प्रा.शि./मा.शि.) गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊं मण्डल नैनीताल।
8. मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि./मा.शि.) सम्बन्धित जनपद।
9. खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित जनपद।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्य रा०इ०का०/रा०क०इ०का० उत्तराखण्ड।
11. सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/संस्थाध्यक्ष को इस आशय से प्रेषित कि पदोन्नत कार्मिक के कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना उसी दिवस को निदेशालय के फैक्स सं० 0135-2781828 एवं

ई-मेल आई.डी. ua.elementary@yahoo.in तथा सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

12. सम्बन्धित कार्मिक को (द्वारा मुख्य शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित जनपद) इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित कार्मिक को नवीन तैनाती स्थल पर **एक सप्ताह के भीतर** अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें तथा कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना उसी दिवस को निदेशालय के फ़ैक्स सं० 0135-2781828 एवं ई-मेल आई.डी. ua.elementary@yahoo.in पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि किसी कार्मिक द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो पदोन्नति स्वतः निरस्त मानी जायेगी तथा आगामी 01-भर्ती-वर्ष तक सम्बन्धित की पुनः पदोन्नति पर विचार नहीं किया जायेगा। पदोन्नत कार्मिक का संशोधन/समयवृद्धि सम्बन्धी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। अतः इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत न किये जाएं।
13. एम0आई0एस0 प्रभारी विद्यालयी शिक्षा को इस निर्देश के साथ कि उक्त सूची विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
14. कार्यालय आदेश पुस्तिका।

AKK
(वी0एन0 सिंह)
संयुक्त निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड